मध्यप्रदेश विधान सभा

फरवरी–अप्रैल, 2002 सत्र

दैनिक कार्य सूची

गुरुवार, दिनांक 7 मार्च, 2002 (फाल्गुन 16, 1923)

समय 10.30 बजे दिन

1. प्रश्नोत्तर

पृथकतः वितरित सूची में सम्मिलित प्रश्न पूछे जायेंगे तथा उनके उत्तर दिये जायेंगे.

2. पत्रों का पटल पर रखा जाना

श्री अजय सिंह, पर्यटन मंत्री, कम्पनीज एक्ट, 1956 की धारा 619-क की उपधारा (3) (ख) की अपेक्षानुसार मध्यप्रदेश राज्य पर्यटन विकास निगम मर्यादित का 20 वां वार्षिक प्रतिवेदन वर्ष 1997-98 पटल पर रखेंगे.

3. नियम 138 (1) के अधीन ध्यान आकर्षण

(1) डॉ. आई.एम.पी. वर्मा, सदस्य, कटनी जिले के ग्राम पंचायत खजुरा में अवैध उत्खनन होने से उत्पन्न स्थिति की ओर खनिज साधन मंत्री का ध्यान आकर्षित करेंगे.

(2) श्री रसाल सिंह, सदस्य, सीहोर स्थित शुगर फैक्ट्री को प्रबंधकों द्वारा बंद किये जाने से उत्पन्न स्थिति की ओर श्रम मंत्री का ध्यान आकर्षित करेंगे.

4. प्रतिवेदन की प्रस्तुति एवं स्वीकृति

श्री प्रेमनारायण ठाकुर, सभापति, गैर सरकारी सदस्यों के विधेयकों तथा संकल्पों संबंधी समिति का बीसवां प्रतिवेदन प्रस्तुत करेंगे तथा निम्नलिखित प्रस्ताव करेंगे–

"सदन गैर सरकारी सदस्यों के विधेयकों तथा संकल्पो संबंधी समिति के बीसवें प्रतिवेदन से सहमत है."

5. पंचायत एवं ग्रामीण विकास मंत्री का वक्तव्य

श्री अजय सिंह, पंचायत एवं ग्रामीण विकास मंत्री, दिनांक 6 नवम्बर, 2001 को पूछे गये तारांकित प्रश्न संख्या 13 (क्रमांक 582) के उत्तर में संशोधन करने के संबंध में वक्तव्य देंगे.

6. शासकीय विधि विषयक कार्य

श्री महेन्द्र बौद्ध, गृह मंत्री, इन्दौर पुलिस आयुक्त विधेयक, 2002 (क्रमांक 1 सन् 2002) के पुरःस्थापन की अनुमति का प्रस्ताव करेंगे तथा अनुमति प्राप्त होने पर विधेयक पुरःस्थापित करेंगे.

7. वर्ष 2002–2003 के आय-व्ययक पर सामान्य चर्चा.

भोपाल :
दिनांक : 6 मार्च, 2002

डॉ.ए.के. पयासी
सचिव,
मध्यप्रदेश विधान सभा.